-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 06.06.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **अपराधियों एवं माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही हेतु मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में बांदा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की अवैध रुप से अर्जित लगभग 24 लाख रुपये की अचल सम्पत्ति को किया गया कुर्क।**

विवरण- प्रदेश में माफियाओं व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों पर कड़ी कार्यवाही हेतु मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 06.06.2026 को बड़ी कार्यवाही की गई। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम जौरही के रहने वाले अभियुक्त निरंजन पुत्र स्वयंबर द्वारा आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 24 लाख रुपए की अवैध अचल सम्पत्ति को कुर्क किया गया है। अभियुक्त पर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा लूट पाट कर समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संमत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना कोतवाली देहात बांदा पर मु0अ0सं0 216/25 धारा 2(b)(i)/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक मटौंध श्री दीपेन्द्र सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी। विवेचक द्वारा अभियुक्त के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी। मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा दिनांक 22.05.2026 को अभियुक्त की अवैध संपत्ति की कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट की 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 06.06.2026 को अभियुक्त द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई लगभग 24 लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हार्वेस्टर को जब्त कर लिया गया है। बता दें कि अभियुक्त स्वयंबर पर लूट, जबरन वसुली, गुण्डा एक्ट आदि सहित डेढ़ दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं।

अभियुक्त -

1. निरंजन पुत्र स्वयंबर निवासी जौरही थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

जब्त सम्पत्ति का विवरण-

- 01 हार्वेस्टर UP 90 AD 6757 NISHAL 435 अनुमानित कीमत 24 लाख रुपये।

आपराधिक इतिहास हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त निरंजन सिंह उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 140/92 धारा 392/411/427 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 86/95 धारा 387/506 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 384/95 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
4. मु0अ0सं0 30/96 धारा 323/504/506 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
5. मु0अ0सं0 63/96 धारा 147/148/149/307 भादवि 10/12 डीए एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
6. मु0अ0सं0 64/96 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
7. मु0अ0सं0 65/96 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
8. मु0अ0सं0 23/97 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
9. मु0अ0सं0 56/97 धारा 323/504/506 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
10. मु0अ0सं0 93/97 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
11. मु0अ0सं0 32/97 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

12. मु0अ0सं0 23/99 धारा 10 यूपी गुण्डा एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
13. मु0अ0सं0 295/11 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
14. मु0अ0सं0 82/15 धारा 3 यूपी गुण्डा एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
15. मु0अ0सं0 199/14 धारा 353/332/323/504/506/307/427 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
16. मु0अ0सं0 113/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
17. मु0अ0सं0 154/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
18. मु0अ0सं0 139/24 धारा 309(6) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
19. मु0अ0सं0 118/25 धारा 309(6) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
20. मु0अ0सं0 216/25 धारा 2(b)(i)/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।